न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/555

पांचू आत्मज रामा बैरवा निवासी पीपलवासा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 19.02.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार हिण्डोली ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र बाबत् आवंटन निरस्त कराने का पेश कर कथन किया कि पॉचू आत्मज रामा जाति बैरवा निवासी पीपलवासा को ग्राम पीपलवासा की आराजी खसरा नम्बर 811/1104 की रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा दिनांक 03.12.1975 को आवंटित की गई थी । सम्पूर्ण रकबे पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं है । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है । अतः आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 29.06.2016 के द्वारा तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 03.12.1975 निरस्त कर दिया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.06.2016 से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने कैम्प कोर्ट में आवंटी के वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने के आधार

पर आवंटन खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र कब्जे को आधार मानकर आवंटन को खारिज कर दिया जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी की पालना किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

5. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी । उक्त अपीलाधीन निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 02.09.2016 को हुई जिस पर अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट को वादग्रस्त आराजी सन् 1975 में आवंटित हुई थी । आवंटन के 38 वर्ष बाद बिना किसी आधार के आवंटन खारिज किया गया है । निर्णय कैम्प कोर्ट में पारित किया गया है अपीलान्ट को सनुवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.06.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने कथन किया कि अपीलान्ट को नोटिस दिये गये हैं और अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रस्तुत किया गया है । वादग्रस्त आराजी पर कब्जा अपीलान्ट का नहीं है । आवंटी ने आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.06.2016 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के जो कारण बताए हैं वे उचित प्रतीत हौते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

10. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर तहसीलदार हिण्डोली का एक प्रार्थना पत्र जो वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के गैर खातेदारी में दर्ज है का आवंटन निरस्त कराने हेतु पेश किया है । उक्त प्रार्थना पत्र में सम्पूर्ण आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त नहीं होने और कब्जे के बाबत् विवाद होना अंकित किया है । वादग्रस्त आराजी मुताबिक नकल जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 अपीलान्ट के गैर खातेदारी में दर्ज है । अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक

14.10.2015 को जवाब प्रस्तुत किया है और यह कथन किया है कि उनके द्वारा आवंटन शर्तों की अवहेलना नहीं की गई है । प्रकरण को सुनने का क्षेत्राधिकार माननीय जिलाधीश महोदय बून्दी को है । आवंटन आदेश की प्रतिलिपि भी संलग्न है और कब्जा रिपोर्ट की फोटो प्रति भी संलग्न है । मौका पर्चा जो कि संलग्न किया गया है उसमें यह अंकित किया गया है कि वादग्रस्त आराजी में पॉचू आत्मज रामा बैरवा का 4.05 बीघा भूमि पर, रामदेव पिसरान रामा बेरवा का 3.05 बीघा भूमि पर, पोखर पिसरान रामा बैरवा का 2.05 बीघा, रंगलाल बाबू जंशी मोती पिसरान शोजी बैरवा का 3.00 बीघा पर काबिज काश्त हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने कैम्प कोर्ट में अपीलान्ट की अनुपस्थिति में अपीलाधीन आदेश पारित किया है । आवंटन सन् 1975 का है अपीलान्टगण एवं उनके पिता ने आवंटन शर्तों की पालना की है अथवा नहीं यह सुनिश्चित करने के लिए आवंटन के तुरन्त बाद के 02 वर्षों की खसरा गिरदावरी का अवलोकन किया जाना अनिवार्य है । वादग्रस्त आराजी पर आवंटी का आवंटन की शर्तों के अनुसार कब्जा काश्त है अथवा नहीं सन् 2015 की पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता । पटवारी हल्का ने वादग्रस्त आराजी में से 4.05 बीघा पर अपीलान्ट का ही कब्जा बताया है ।

11. आवंटन सन् 1975 का है जिसे 41 वर्ष बाद निरस्त किया है जबकि माननीय राजस्व मण्डल ने कई नजीरों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया जा चुका है कि इतने पुराने आवंटन को Fraud and misrepresentation प्रमाणित होने के उपरान्त ही खारिज किया जा सकता है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण को लोक अदालत में रखते हुए अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी की पालना किये ही पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक समझते हैं । अतः प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं । -

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.06.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 08.04.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 19.02.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

19.2.19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा